संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक / आई.डी.एस.पी / 2021 / ५ 2.0

भोपाल, दिनांक 30 /03/2021

प्रति.

- 1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
- 2. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
- 3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
- 4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।

विषय:- कोविड-19 पॉजीटिव प्रकरणों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रबंधन संबंधी निर्देश।

विषयांतर्गत लेख है कि माह मार्च 2021 के मध्य से प्रदेश में पूनः कोविड-19 पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित हो रही है। दिनांक 24/03/2021 की स्थिति में प्रदेश में लगभग कोविड—19 के 10,000 एक्टिव केस प्रतिवेदित हैं। यह साक्ष्य आधारित है कि समय के बीतने पर धीरे-धीरे वायरस में प्राकृतिक बदलावों के चलते रोग की तीव्रता एवं गंभीरता (Disease intensity and severity) में प्रायः कमी पाई जाती है। ज्ञातव्य हो कि वर्तमान परिस्थिति में कोरोना वायरस की संक्रामकता में यद्यपि वृद्धि होना परिलिक्षित है परन्तु रोग की तीव्रता एवं मृत्यू दर में अनुपातिक बढ़ोतरी होना नहीं देखा गया है।

प्रदेश में कोविड—19 के प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कोविड अस्पतालों में उपलब्ध ऑक्सीजन तथा वेन्टीलेटर बेडस का समृचित उपयोग हो। उपचार उपरान्त, कोविड-19 के स्थिर रोगियों (Stable Patients) को लंबी अवधि तक द्वितीय / तृतीय स्तरीय कोविड अस्पतालों में भर्ती रखे जाने से जहाँ एक ओर सीमित साधनों का अनावश्यक उपयोग होता है, वहीं दूसरी ओर मध्यम/गंभीर लक्षण वाले जरूरतमंद रोगियों को बेड उपलब्ध कराने में कठिनाई हो सकती है। बड़े जिलों में जहाँ चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है वहां बेड उपलब्धता की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए होम आईसालेशन पर कोविड रोगियों की निगरानी हेत् निर्णय चिकित्सकीय विवेक अनुसार लिया जा सकता है।

कोविड-19 के वर्तमान Disease manifestation एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर तथा डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों के बेहतर उपयोग हेत् निम्नानुसार निर्देशित है:-

1. होम आईसोलेशन तथा अप-रेफरल मापदण्ड

Home Isolation*	Up referral to DCHC	Up referral to DCH
Asymptomatic cases Mild Symptomatic COVID Positives. Age < 60 y Age > 60 y with no co-morbid conditions All members affected in a household All stable cases (irrespective of age) on medication having previous history of Diabetes/ HTN/ Heart Disease/ Chronic Kidney/Liver/Lung diseases as per discretion & clinical advice of treating physician.	 Age > 60 with comorbidities with symptoms Pregnant COVID positives Persistent severe cough Breathlessness Temperature > 101° F despite antipyretics Pulse > 120 / min Respiratory Rate > 24 /min SPO2 < 94% SBP < 100 mm or DBP < 60 mm 	 SPO2 <=90% at room air Respiratory Rate >30/min SBP < 90 mm or DBP < 50 mm Neutrophil : Lymphocyte Ratio (NLR) >=3.5 Increase or rising titres of CRP. Associated Critical Comorbitity Chest X-ray showing >35% involvement with lobar/multi lobar bilateral lung consolidation CT Chest multi lobe distribution with GGO, Crazy paving, Consolidation of air Spaces Symptoms/signs of Septic Shockafter Initial fluid load Symptoms/signs of Venous Thromboembolism- only after stat dose of LMWH/Heparin

2. होम आईसोलेशन में निवासरत रोगियों हेतु रेड फ्लैग साईन

A COVID Positive patient should be in Home Isolation NO		
(Red FLA	GS)	
<u>History</u>	On Examination:	
Persistent cough in last 1 week: Yes / No	Temperature > 101° F despite antipyretics	
High grade fever: Yes / No	Pulse > 120 / min: Yes / No	
Breathlessness: Yes / No	Respiratory Rate > 24 /min: Yes / No	
Complaints of Lethargy/Mental confusion: Yes / No	SBP < 90 mm or DBP < 50 mm: Yes / No	
History of loss of consciousness/Syncope : Yes/No	Oxygen saturation measured by Portable Pulse Oxymeter < 94%: Yes / No	

3. होम आईसोलेशन की निगरानी हेत् किट

- होम आईसोलेशन में निवासरत कोविड पॉजीटिव रोगियों की दैनिक निगरानी जिला स्तर पर स्थापित District COVID Command and Control Center द्वारा सुनिश्चित की जाये।
- होम आईसोलेशन में रह रहे रोगियों को i) e-list and address of Fever clinics ii) e-list and contact details of DCHC iii) e-list and contact details of DCH iv) e- list and contact details of COVID-19 hospitals providing treatment on payment तथा v) e-list of contact persons for notifying symptoms if condition is worsening डिजीटली उपलब्ध कराई जाये ।
- होम आईसोलेशन के दौरान निम्न आवश्यक चिकित्सींय संसाधन एवं औषधियाँ रोगी द्वारा सुनिश्चित की जाये:—

i. Digital Thermometer	1
ii. Pulse Oxymeter	1
iii. Surgical Masks.	20 Pieces
iv. Tab Azithromycin 500 1OD x 5.	5 Tabs
v. Tab Multivitamin I BD x 10 days.	2 Strips of 1x10 Tabs
vi. Tab Cetrizine 10 mg x 10 (For SOS use).	1 Strip of 1x10 Tabs
vii. Tab Paracetamol 500 mg 1 BD x 10 (For SOS use).	2 Strips of 1x10 Tabs
viii.Tab Ranitidine 150 mg 1 BD x 10.	2 Strips of 1x10 Tabs
ix. Tab Zinc 20 mg 1 OD x 10.	1 Strip of 1x10 Tabs
x. Tab Vit. C 1000 mg x 10.	1 Strip of 1x10 Tabs
xi. Any other medicines prescribed by the treating clinic illnesses	cian and medicines for co-morbid

4. होम आईसोलेशन में निवासरत रोगियों हेतु नैदानिक सुझाव

	CBC
	RBS
	S. Creatinine
Suggested laboratory investigations on advise of Home	RFT
Isolation by treating physician	LFT
	CRP
	ECG
	Chest X-Ray

5. होम आईसोलेशन अवधि की समाप्ति

• होम आईसोलेशन में निगरानीबद्ध व्यक्ति द्वारा लक्षण उत्पत्ति दिनांक / सैम्पल दिनांक से विगत 10 दिनों से लक्षण रहित होने तथा 3 दिनों से बुखार रहित होने पर होम आईसोलेशन अवधि समाप्त की जाये। तत्पश्चात आगामी 7 दिवस तक उक्त व्यक्ति द्वारा घर पर अपने स्वास्थ्य की स्व—निगरानी स्निश्चित की जाये।

6. "डाउन ट्रांसफर" हेतु मापदण्ड

- यदि भर्ती रोगी को बुखार न हो एवं बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के ऑक्सीजन सेचुरेशन 95% से अधिक हो तो, ऐसे स्थिर रोगियों को चिकित्सा महाविद्यालयीन डेडिकेटेड कोविड अस्पताल (DCH) से संस्था के (DCHC) अथवा जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर (DCHC) में "डाउन ट्रान्सफर" करने का निर्णय चिकित्सकीय दल द्वारा रोगी के स्थित के पूर्ण आंकलन के उपरान्त लिया जा सकता है।
- DCH एवं DCHC एक ही संस्था में होने की स्थिति में रोगी का अंतरण का निर्णय उपचार करने वाले चिकित्सकों के द्वारा ली जा सकती है।
- DCHC अन्य जिले अथवा जिले के अन्य शहर में स्थित होने पर रोगियों का चिकित्सकीय सलाह पर ''डाउन ट्रान्सफर'' करते समय सर्वथा बेसिक लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स का उपयोग किया जाये एवं डेस्टिनेशन अस्पताल को ट्रान्सफर संबंधी पूर्व सूचना अनिवार्यतः दी जाये।
- डाउन ट्रान्सफर संबंधी सांकेतिक तालिका परिशिष्ट—1 पर संलग्न है। इस संबंध में अंतिम निर्णय चिकित्सकीय आंकलन अनुरूप उपचार करने वाले चिकित्सक का होगा।

अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित

(डॉ. संजय गोयल) आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश

क्रमांक / आई.डी.एस.पी / 2021 / ५ 2 । प्रतिलिपि:— सूचनार्थ ।

भोपाल, दिनांक 3 ० / 03 / 2021

- 1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
- 2. आयुक्त, चिकित्सा चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, म.प्र।
- 3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
- 4. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
- 5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र।
- 6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
- 7. समस्त जिला सर्वेलेन्स अधिकारी, म.प्र।
- 8. समस्त जिला एपीडिमियोलॉजिस्ट / डाटा मेनेजर, म.प्र।
- 9. प्रभारी, कोविड-19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश

Revised Down Transfer Criteria From DCH to DCHC (If both are co-located)

- Absence of fever without antipyretics for 2 days
- No breathlessness
- No need for O2 support

For > 60 y with co-morbidities

- Absence of fever without antipyretics for 3 days
- No breathlessness
- No need for O2 support &
- SPO2 > 95%

Down Transfer to Co- Located DCHC

If Down Transfer facility is not co-located

- Absence of fever for last 3days.
- SPO2 > 95% without O2 support for 4 days.
- · Resolution of clinical symptoms.



Transfer only in basic life support Ambulance